



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1731]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2019/ज्येष्ठ 20, 1941

No. 1731]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2019/JYAISTHA 20, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2019

का.आ. 1936(अ).—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि जहां कोई नियोजक किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत कर देता है या उसकी छंटनी कर देता है या उसकी सेवाएं अन्यथा प्रवसित कर देता है वहां ऐसे उन्मोचन, पदच्युति या छंटनी या पर्यवसान से संसक्त या उद्भूत कोई औद्योगिक विवाद या मतभेद जो उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच हो, को कर्मकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2क की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन करके अधिकारिता रखने वाले सुलह अधिकारी जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या अपर श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) रैंक का हो, निर्दिष्ट किया जाता है और जहां ऐसी सुलह असफल हो जाती है, तब, ऐसा सुलह अधिकारी केन्द्रीय सरकार को सुलह की असफलता रिपोर्ट करने के बजाय उक्त अधिनियम की धारा 2क के साथ पठित धारा 10 के अधीन अपने आप केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी रिपोर्ट सीधे श्रम न्यायालय या अधिकरण को निम्नलिखित शर्तों के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए करेगा, अर्थात्:—

(i) जहां ऐसा सुलह अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के रैंक का हो, सर्वप्रथम वह ऐसी सुलह की असफलता रिपोर्ट अपने प्रादेशिक प्रधान, जो उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की पंक्ति से नीचे का न हो, को करेगा जो उक्त रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और यदि उसकी राय है कि ऐसी असफलता की सुलह रिपोर्ट के अधीन उक्त औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त नहीं है, तब, वह ऐसी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को

आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेगा, अन्यथा, उक्त औद्योगिक विवाद को सुलह की असफलता रिपोर्ट के अधीन श्रम न्यायालय या अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करेगा;

(ii) जहां ऐसा सुलह अधिकारी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के रैंक का हो, वह सर्वप्रथम ऐसी सुलह की असफलता रिपोर्ट मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को करेगा, जो उक्त रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और यदि उसकी राय है कि ऐसी सुलह की असफलता रिपोर्ट के अधीन उक्त औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त नहीं है, तब, वह ऐसी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेगा, अन्यथा, सुलह की असफलता रिपोर्ट के अधीन उक्त औद्योगिक विवादों को श्रम न्यायालय या अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करेगा; और

(iii) जहां ऐसा सुलह अधिकारी मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के रैंक का है और उसकी राय है कि ऐसी सुलह की असफलता रिपोर्ट के अधीन उक्त औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त नहीं है, तब, वह ऐसी रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेगा, अन्यथा, सुलह की असफलता रिपोर्ट के अधीन उक्त औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय या अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करेगा।

2. उक्त अधिनियम की धारा 2क के साथ पठित धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस अधिसूचना की कोई बात केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को, क्रमशः ऐसे प्रत्यायोजन को ध्यान में लिए बिना, प्रभावित नहीं करेगी।

[फा.सं. एस-11012/1/2019-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2019

S.O. 1936(E).—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby directs that where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman and any industrial dispute between that workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination is referred by the workman by making application under sub-section (2) of section 2A of the said Act to the jurisdictional Conciliation Officer holding the rank of Labour Enforcement Officer or Assistant Labour Commissioner (Central) or Regional Labour Commissioner (Central) or Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Additional Chief Labour Commissioner (Central) or Chief Labour Commissioner (Central) and where such conciliation fails, then, such Conciliation Officer shall, instead of making the Failure of Conciliation Report to the Central Government, exercise the powers of the Central Government himself under section 10 read with section 2A of the said Act and make such report directly to the Labour Court or Tribunal for adjudication subject to the following conditions, namely:-

(i) where such Conciliation Officer is of the rank of Labour Enforcement Officer or Assistant Labour Commissioner (Central) or Regional Labour Commissioner (Central), he shall at the first instance make such Failure of Conciliation Report to his Regional head holding the rank not below the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), who shall examine the said Report and if he is of the opinion that the said industrial dispute under such Failure of Conciliation Report is not fit for adjudication, then, he shall send such Report to the Central Government for necessary action, otherwise refer the said industrial dispute under the Failure of Conciliation Report to the Labour Court or Tribunal for adjudication; and

(ii) where such Conciliation Officer is of the rank of Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Additional Chief Labour Commissioner (Central), he shall at the first instance make such Failure of Conciliation Report to the Chief Labour Commissioner (Central), who shall examine the said Report and if he is of the opinion that the said industrial dispute under such Failure of Conciliation Report is not fit for adjudication, then, he shall send such Report to

the Central Government for necessary action, otherwise refer the said industrial disputes under the Failure of Conciliation Report to the Labour Court or Tribunal for adjudication; and

(iii) where such Conciliation Officer is of the rank of Chief Labour Commissioner (Central) and if he is of the opinion that the said industrial dispute under such Failure of Conciliation Report is not fit for adjudication, then, he shall send such Report to the Central Government for necessary action, otherwise refer the said industrial dispute under the Failure of Conciliation Report to the Labour Court or Tribunal for adjudication.

2. Nothing in this notification shall affect the powers of the Central Government to exercise the powers under section 10 read with section 2A of the said Act consecutively irrespective of such delegation.

[F. No. S-11012/1/2019-IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt.Secy.